/103243/2023

ई पत्रावली संख्या- 21340

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0

मुख्य अभियन्ता (नियोजन) लोक निर्माण विभाग, देहरादून

इं0 जीवन सिंह ह्यांकी वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी2023

विषयः- राज्य योजना के अन्तर्गत राजभवन देहरादून में नवीन गौशाला का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसमें कार्य की लागत ₹22.13 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **₹22.13 लाख (रूपये बाईस लाख तेरह हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु **₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. प्रस्तुत विस्तृत आगणनों मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. विषयगत कार्य की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि RCC Column एवं बीम की डिजायन हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

iii. कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iv. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।)

v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vi. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समयसारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये- ्जाने की दशा में नियमानुसार आवशयक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

vii. कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

viii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

ix. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरोंविशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट/

मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

x. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xi. यदि विषयगत कार्य में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेण्ट रूल्स2017- एवं उक्त के विषय में समयसमय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से-अनुपालन किया जायेगा।

xiii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः2047-/XIV2006)219-) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग1- के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च2012 , के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी . द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य-051 निर्माण कार्य-02 लोक निर्माण (नए कार्य)-53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/102425/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar
Date: 28-02-2023 17:18:07

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Signed by Shyam Singh
Date: 28-02-2023 17:20:17

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

IFMS Uttarakhand

आवंटन पत्र संख्या -I/103243/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23020220049
आवंटन पत्र दिनांक-28-FEB-2023

लेखा शीर्षक	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	051-निर्माण	02-लोक निर्माण (नए कार्य)
	00-0	Voted

4	0	5	9	8	0	0	5	1	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	10000	10000	0	20000
योग	10000	10000	0	20000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 260 / 20 याता0'क'नियोजन–1 / 2023 दिनांक– 15 / 03 / 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निमाण विभाग, देहरादून।

2– अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

4–अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– अपर सहायक अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

अधिकारी